

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

संसद द्वारा कलाकार कुलसंचय अधिनियम
प्रतिविधियां द्वारा दिया गया है जो इन
में निम्नी स्तर कलासंचयी के बारे में है।
अधिनियम नियम वा विधि पूर्व में यह
कलाकार कुला द्वारा कलाकार एवं विद्यालय
कलाकार नियम जो उनके बिना के नहीं हो सकता है।



मान : गृहीत
 फ़ोन : 0091-(0751)-2442897
 (फ़ॉक्स)
 2442462 (फ़ॉक्स)
 ईमेल : jurog_gwi@rediffmail.com
 Website : <http://www.jiwaji.edu>

प्रेषक :

कुलसंचय,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : प्रक/उम्बड़ता/2012/ ८५८७

दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अनुरूप कार्यपालिका वर्ष
शेष दिनांक 07 अगस्त, 2012 के पद क्रमांक (16) को विणाशकुलार हॉस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी
एण्ड मैकेजेनेंट, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए.
पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. यहाँ उगले सत्र 2012-13 से उभी पाठ्यक्रम आँढ़ी.ए.ए.म. यूनिवर्सिटी में स्थानांतरित किये जा चुके हैं अतः यह संबंधित केवल पुणे छात्रों एवं वर्तमान सत्र के लिए ही माल्य होनी।
2. परिवेशन 28 का पालन किया जावे।

आवश्यकुलार

कुलसंचय

ग्रन्ति,

1. प्राप्ति, हॉस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एण्ड मैकेजेनेंट, ग्वालियर
2. विदेशक, अधिकार शास्त्रीय तकनीकी शिक्षा याचिका, इंटर्ग्रेटेड सोल परियोग, इन्हाप्राय एटेट,
3. आयुक्त, नगरपाली शासन, उच्च शिक्षा विभाग, दातपुत्र भर्ज, खोयाल,
4. शैक्षण्य अतिविद्या संबलक, गण्डगेड शालज, उच्च शिक्षा विभाग, आलंगट-बंबल संघाम, नोती महल
5. अप-कुलसंचय (परीक्षा-जोपरिषद) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधिकार, परीक्षा वक्ता क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहायक कुलसंचय (सम्बद्धता)